प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

एवं माननीय श्री डी.आर. देशमुख, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्रमांक 4286/2006

याचिकाकर्ता :– डी.एम. लक्ष्मण राव, आत्मज श्री डी. रंगा राव आयु लगभग 51 वर्ष, पूर्व सहायक गार्ड, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर, निवासी (ग्राम) निपनिया, जिला: रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. **भारत संघ**, द्वारा: महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन, जोन कार्यालय, बिलासपुर 495 001

2. **मंडल रेल प्रबंधक (पी),** दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर 495001

3. **वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी,** दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर 495001 " "

4. **मंडल परिचालन प्रबंधक** (CIC) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल, बिलासपुर 495001

5. **केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण,** जबलपुर पीठ, द्वारा: रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैराव्स बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, जबलपुर (म.प्र.)

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री बी.पी. राव, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 से 4/रेलवे की ओर से श्री अमित चौधरी, विद्वान स्थायी अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 11 अगस्त, 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश **श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश** द्वारा पारित किया गया:

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर पीठ (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन को विलंब और उपेक्षा तथा परिसीमा द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज कर दिया है। यह तथ्य निर्विवाद हैं। याचिकाकर्ता के विरुद्ध कतिपय कथित कदाचार पर विभागीय जांच करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20–06–1997 को याचिकाकर्ता को अनुशासनात्मक उपाय के रूप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि संबंधित आचरण और अपील नियमों के तहत उसे 45 दिनों के भीतर अपील करनी चाहिए थी, परंतु उसने दिनांक 26–05–2001 को अपील दायर की। उस अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 30–07–2002 को खारिज कर दिया। चार साल बीतने के बाद, याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष ओ.ए. (मूल आवेदन) संख्या 411, वर्ष 2006 दायर किया। न्यायाधिकरण ने अपील को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि दिनांक 30–07–2002 को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनकी अपील खारिज होने के बाद, वह प्रशासनिक विभाग को राहत अनुदत्त करने के लिए अभ्यावेदन देता रहा और उसके अंतिम अभ्यावेदन को विभाग ने दिनांक 24–01–2005 को खारिज किया था और उसके बाद एक वर्ष और छह महीने की अवधि के भीतर, अर्थात अधिक समय गवाएं बिना, उसने न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर किया और इसलिए, न्यायाधिकरण का परिसीमा के आधार पर गुण–दोष पर विचार किए बिना मूल आवेदन को खारिज करना उचित नहीं है। हमने रेलवे की तरफ से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अमित चौधरी के तर्कों को भी सुना।

(3) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हस्तक्षेप करने और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 20–06–1997 को आदेश पारित किया था, लगभग चार साल बीतने के बाद दिनांक 26–05–2001 को अपील की गई थी। उस अत्यधिक विलंब के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जो भी हो, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30–07–2002 को याचिकाकर्ता की अपील खारिज किए जाने के बाद भी, याचिकाकर्ता ने उचित समय के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन दायर नहीं किया। याचिकाकर्ता का यह कहना कि उसने विभाग को कई बार और पुनरावृत्त अभ्यावेदन दिए और उसका अंतिम अभ्यावेदन विभाग द्वारा दिनांक 24–01–2005 को खारिज किया गया था, भले ही यह सही हो, यह परिस्थिति अपने आप में अत्यधिक विलंब के लिए क्षमा मांगने हेतु याचिकाकर्ता के हित में नहीं होगी। इस बिंदु पर विधि सुस्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आधार पर: **राजलक्ष्मैय्या सेट्टी, के.वी. विरुद्ध मैसूर राज्य**[1] ; **मलतैर जगदीश नारायण विरुद्ध बिहार राज्य**[2] ; **ज्ञान सिंह मान विरुद्ध पी एंड एच उच्च न्यायालय**[3]; **जम्मू और कश्मीर राज्य विरुद्ध अशोक कुमार गुप्ता (डॉ.)**[4], यह सुस्थापित है कि किसी अतिरिक्त–कानूनी उपाय का लाभ लेना, जैसे कि विभागीय अभ्यावेदन या दया के लिए अपील की प्रकृति में पत्राचार (जो वैधानिक अपील या प्रशासनिक निर्देशों के तहत प्रदान की गई अपील नहीं है), विलंब को माफ करने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रबींद्र नाथ बोस विरुद्ध भारत संघ**[5], **उड़ीसा राज्य विरुद्ध प्यारीमोहन सामंतराय**[6]; **उड़ीसा राज्य विरुद्ध अरुण कुमार पटनायक**[7]; **भारत संघ विरुद्ध एस.एस. कोठियाल**[8]; **केरल**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 AIR 1967 SC 993 (997: 1967 (1) SCR 807
2 AIR 1973 SC 1343 (Para 8): (1973) 1 SCC 811
3 AIR 1980 SC 1894 (Para 3): (1980) 4 SCC 266
4 (1996) 2 SCC 82 (Para 3): AIR 1996 SC 2882
5 (1970) 2 SCR 697: AIR 1970 SC 470: (1970) 1 SCC 84
6 AIR 1976 SC 2617 (Para 6): (1977) 3 SCC 396
7 AIR 1976 SC 1639 (Para 14): (1976) 3 SCC 579
8 (1998) 8 SCC 682 (Para 3)

राज्य विरुद्ध ओ.सी. कुट्टन[9]; **नायब सूबेदार लक्ष्मण दास विरुद्ध भारत संघ**[10] के प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया गया है, वैधानिक अपील की अस्वीकृति या बर्खास्तगी के बाद बार–बार अभ्यावेदन देना, न्यायालय या न्यायाधिकरण जाने में हुए विलंब को क्षमा नहीं करेगा और गलत रीती से चयनित उपायों का लाभ उठाना विलंब के लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं माना गया है।

(4) परिस्थितियों को देखते हुए, हम रिट याचिका को खारिज करते हैं। वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
डी.आर. देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

9 (1999) 2 SCC 651 (Para 6): AIR 1999 SC 1044
10 (1977) UJSC 355: AIR 1977 SC 1979: (1977) 2 SCC 584